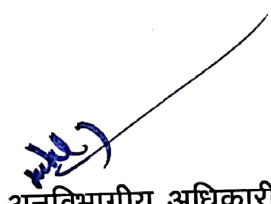


राजस्व आदेश अनुवृत्ति- पत्र

रा.प्र.क. 202504092100008 अ/62 वर्ष 2024-25

	2	3
22/05/2025	1. प्रकरण पेश। 2. प्रकरण में संयुक्त जांच दल से जांच प्रतिवेदन प्राप्त। 3. प्रकरण का अवलोकन किया गया। संयुक्त जांच दल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि खसरा नंबर 34/5 रकबा 0.607 हे भूमि पर कोई भी सागौन वृक्ष खड़ा एवं गीरा हुआ नहीं है। आवेदिका के द्वारा त्रुटिवश उक्त खसरा क्रमांक का आवेदन किया गया है। अतः आवेदन नस्तीबद्ध करने योग्य है। प्रकरण में प्राप्त संयुक्त जांच दल से सहमत होते हुए खसरा नंबर 34/5 रकबा 0.607 हे भूमि पर कोई भी सागौन वृक्ष खड़ा एवं गीरा हुआ नहीं होने से आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है। 5. प्रकरण नस्तीबद्ध कर दाखिल दफतर हो।  अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डोंगरगढ़	